निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण 1937 (श0)

(सं0 पटना 933) पटना, मंगलवार, 18 अगस्त 2015

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

5 अगस्त 2015

सं० वि०स०वि०-20/2015-2920 / वि०स०—"बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2015", जो बिहार विधान सभा में दिनांक 05 अगस्त, 2015 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरेराम मुखिया,
प्रभारी सचिव ।

fcgkj ipk;r jkt ¼l'kk/ku½ fo/k;d] 2015

[वि०स०वि०-17/2015]

fcgkj ipk;r jkt vf/kfu;e] 2006 ¼fcgkj vf/kfu;e 6] 2006½ dk l'kk/ku djus ds fy, fo/k;dA

भारत–गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1- lf{kIr uke] foLrkj vkj izkjEHkA& (1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) इस संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 15 द्वारा किए गए संशोधन को छोड़कर, यह तुरंत प्रवृत्त होगा और धारा 15 द्वारा किया गया संशोधन 1ली जनवरी, 2016 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2- fcgkj vf/kfu;e 6] 2006 dh /kkjk 2 dk l'kk/ku।– उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खण्ड (क ढ़) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (क ण) जोड़ा जाएगाः–

''(क ण) ''वार्ड सभा'' से अभिप्रेत है धारा 170 क की उप–धारा (1) के अधीन गठित वार्ड सभा।''

3- fcgkj vf/kfu;e 6] 2006 dh /kkjk 7 dk l'kk/kuA& उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 7 के खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (ङ) एवं खण्ड (च) जोड़े जाएंगेः–

''(ङ) वार्ड सभाओं की अनुशंसाएँ

(च) अगर ग्राम सभा की राय में किसी वार्ड से संबंधित कोई महत्वपूर्ण योजना वार्ड सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं की गयी है, तो ग्राम सभा ऐसी योजनाओं पर भी विचार कर सकेगी।''

4- fcgkj vf/kfu;e 6] 2006 dh /kkjk 9 dk l'kk/kuA& उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 9 के खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (झ) जोड़ा जाएगाः–

''(झ) वार्ड सभाओं के प्रतिवेदनों/अनुशंसाओं के संबंध में विचार–विमर्श करना एवं समुचित कार्रवाई हेतु ग्राम पंचायत को अनुशंसा करना।''

5. fcgkj vf/kfu;e 6] 2006 esa /kkjk 16 ds ckn ,d ubZ /kkjk dk vUr%LFkkiuA– उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 16क अन्तःस्थापित की जाएगीः–

''16क. eq[k;k] mi&eq[k;k ,oa vU; lnL;ksa dk HkÙkk।– ग्राम पंचायत के मुखिया, उप–मुखिया और अन्य सदस्य यथाविहित भत्ते पाने के हकदार होंगे।''

6. fcgkj vf/kfu;e 6] 2006 esa v/;k; VIII ,oa /kkjk 170 ds i'pkr ,d u;k v/;k; ,oa ,d ubZ /kkjk dk vUr%LFkkiuA–बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में अध्याय VIII एवं धारा 170 के पश्चात् निम्नलिखित नया अध्याय **IX** तथा नई धारा 170क अन्तःस्थापित की जाएगी :–

^^v/;k; **IX**

okMZ lHkk

170क (1) सरकार के सामान्य आदेश के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायत के भीतर वार्डों के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में वार्ड सभा का आयोजन किया जाएगा। वार्ड सभा तीन महीने में कम–से–कम एक बार अपनी बैठक करेगी। उक्त वार्ड से ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य जो वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हों, वार्ड सभा की बैठक का आयोजन विहित प्रक्रियाओं के अनुसार करेंगे और बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उस वार्ड के निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले सभी मतदाता उक्त वार्ड सभा के सदस्य होंगे।

(2) अगर वार्ड सभा की बैठक बुलाने हेतु उत्तरदायी ग्राम पंचायत सदस्य बैठक बुलाने में असफल रहते हैं, तब उस ग्राम पंचायत के मुखिया या मुखिया द्वारा अधिकृत किये जाने पर उप–मुखिया बैठक का आयोजन करेंगे एवं उसकी अध्यक्षता करेंगे।

(3) वार्ड सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) वार्ड सभा के कुल सदस्यों के दसवें हिस्से या पचास सदस्यों की उपस्थिति से पूरी होगी।

(4) वार्ड सभा, ऐसी नियमावली जो विहित की जाए, के अध्यधीन निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी एवं निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी :–

(क) वार्ड सभा के क्षेत्र में ली जाने वाली विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करना तथा उनकी प्राथमिकता विनिश्चित करना एवं इसे ग्राम पंचायत की विकास योजना में सम्मिलित करने के उद्देश्य से ग्राम सभा को अग्रसारित करना;

(ख) नियत मानदंडों के आधार पर हिताधिकारी अभिन्यस्त स्कीम के लिए वार्ड सभा के क्षेत्र से सबसे अधिक पात्र व्यक्तियों की पहचान करना;

(ग) सरकार से विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी सहायता, यथा पेंशन एवं अनुदान, प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पात्रता का सत्यापन करना;

(घ) वार्ड सभा के विनिश्चय पर ग्राम पंचायत द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में सूचना प्राप्त करना;

(ङ) विकास योजनाओं के लिए नकद या जिन्स दोनों रूपों में अंशदान और स्वैच्छिक श्रमदान का सहयोग प्राप्त करना;

(च) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना कि वार्ड सभा के सदस्य ग्राम पंचायत को करों एवं फीसों (यदि कोई हों) का ससमय भुगतान करते हैं;

(छ) मुखिया के अनुरोध पर स्ट्रीट लाईट, स्ट्रीट या सामुदायिक नल, सार्वजनिक स्वच्छता इकाईयां, एवं अन्य सार्वजनिक सुविधा योजनाओं के लिए वार्ड सभा के क्षेत्र में उपयुक्त स्थल का सुझाव देना;

(ज) लोकहित से जुड़े यथा– स्वच्छता, पर्यावरण का संरक्षण एंव प्रदूषण का नियंत्रण जैसे विषयों पर जागरूकता पैदा करना;

(झ) वार्ड सभा के क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था कायम रखने में ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को सहयोग देना एवं कूड़ा–कचरा के निस्तारण में स्वैच्छिक श्रमदान करना;

(ञ) वार्ड सभा के क्षेत्र में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना;

(ट) सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रो की गतिविधियों, विशेषतः रोगों की रोकथाम एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सहयोग देना तथा महामारियों एवं प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं को तुरंत प्रतिवेदित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना;

(ठ) वार्ड सभा के क्षेत्र में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता और सौहार्द बढ़ाना एवं स्थानीय लोगों की प्रतिभा को पहचान देने हेतु सांस्कृतिक उत्सवों एवं खेलों का आयोजन करना; और

(ड) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जो विहित किए जाएं।

(5) वार्ड सभा के बैठकों के आयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया वही होगी जो विहित की जाय।

(6) वार्ड सभा के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, संबंधित वार्ड क्षेत्र से निर्वाचित ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य द्वारा एवं उसकी अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के मुखिया या मुखिया द्वारा अधिकृत उप–मुखिया द्वारा की जायेगी।

(7) वार्ड सभा की बैठक में किसी मुद्दे के संबंध में सभी संकल्प वार्ड सभा की बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किए जाएंगे।''

7. fcgkj vf/kfu;e 6] 2006 dh /kkjk 18 dk l'kks/kuA– (1) धारा 18 की उपधारा (4) के खंड (i) के प्रथम परन्तुक के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :–

''मुखिया की पूरी पदावधि में ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक बार ही लाया जा सकेगा।''

(2) धारा 18 की उपधारा (4) के खंड (i) से द्वितीय परन्तुक एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

(3) धारा 18 की उपधारा (4) के खंड (ii) के प्रथम परन्तुक के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :–

''उप–मुखिया की पूरी पदावधि में ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक बार ही लाया जा सकेगा।''

(4) धारा 18 की उपधारा (4) के खंड (ii) में द्वितीय परन्तुक एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

8. fcgkj vf/kfu;e 6] 2006 dh /kkjk 32 dk l'kks/kuA– उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 32 की उप–धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :–

''32 (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में यथाविहित रीति से नियुक्त होने वाला एक पंचायत सचिव होगा। पंचायत सचिव के अतिरिक्त, सरकार ग्राम पंचायत के अधीन काम करने के लिए, समय–समय पर, उतनी संख्या में अन्य कर्मियों को भी विहित रीति से पदस्थापित या प्रतिनियुक्त कर सकेगी, जिसे वह आवश्यक समझे।''

9. fcgkj vf/kfu;e 6] 2006 dh /kkjk 40 dk l'kks/ku।– उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 40(1) के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (ग) जोड़ा जाएगा :–

''(ग) अगर पंचायत समिति के प्रमुख तथा उप–प्रमुख दोनों पद एक साथ रिक्त हो जायें एवं किसी कारणवश राज्य निर्वाचन आयोग उक्त दोनों में किसी एक रिक्त पद के विरूद्ध निर्वाचन संचालित करने में असमर्थ हो तो प्रमुख के दायित्वों के निर्वहन हेतु, कार्यकारी व्यवस्था के रूप में, पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे निर्वाचित सदस्यों के बीच से उम्र में वरिष्ठतम सदस्य, प्रमुख के रूप में, कार्य करेंगे। कार्यकारी व्यवस्था के रूप में कार्य करने वाले प्रमुख की कार्यावधि पूर्णतः अस्थायी होगी, तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिवत निर्वाचित प्रमुख के कार्यभार संभालते ही स्वतः समाप्त हो जाएगी। वरिष्ठतम सदस्य द्वारा प्रमुख की जिम्मेवारी ग्रहण करने से लिखित रूप में इंकार किए जाने पर, वरिष्ठतम सदस्य के बाद उम्र में वरिष्ठ दूसरे सदस्य, प्रमुख के रूप में, कार्य करेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति, यथाविहित रूप से, सभी निर्वाचित सदस्यों की उम्र के संबंध में पंजी का संधारण स्थायी व्यवस्था के रूप में करेंगे। उम्र समान होने की स्थिति में वरीयता का विनिश्चय लॉटरी द्वारा यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।''

10. fcgkj vf/kfu;e 6] 2006 dh /kkjk 44 dk l'kks/kuA– (1) उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 44 की उपधारा (3) के खंड (ii) के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :–

''प्रमुख/उप–प्रमुख की पूरी पदावधि में ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक बार ही लाया जा सकेगा।''

(2) धारा 44 की उपधारा (3) के खंड (iii) को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

(3) धारा 44 की उपधारा (3) के खंड (iv) को खंड (iii) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा।

11. fcgkj vf/kfu;e 6] 2006 dh /kkjk 67 dk l'kks/ku।– उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 67 की उप–धारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा :–

''परन्तु अगर जिला परिषद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों पद एक साथ रिक्त हो जायें एवं किसी कारणवश राज्य निर्वाचन आयोग उक्त दोनों में किसी एक रिक्त पद के विरूद्ध निर्वाचन संचालित करने में असमर्थ हो तो अध्यक्ष के दायित्वों के निर्वहन हेतु, कार्यकारी व्यवस्था के रूप में, जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्यों के बीच से उम्र में वरिष्ठतम सदस्य, अध्यक्ष के रूप में, कार्य करेंगे। कार्यकारी व्यवस्था के रूप में कार्य करने वाले अध्यक्ष की कार्यावधि पूर्णतः अस्थायी होगी, तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष के कार्यभार संभालते ही स्वतः समाप्त हो जाएगी। वरिष्ठतम सदस्य द्वारा अध्यक्ष की जिम्मेवारी ग्रहण करने से लिखित रूप में इंकार किए जाने पर वरिष्ठतम सदस्य के बाद उम्र में वरिष्ठ दूसरे सदस्य, अध्यक्ष के रूप में, कार्य करेंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् यथाविहित रूप से सभी निर्वाचित सदस्यों की उम्र के संबंध में पंजी का संधारण स्थायी व्यवस्था के रूप में करेंगे। उम्र समान होने की स्थिति में वरीयता का विनिश्चय लॉटरी द्वारा यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।''

12. fcgkj vf/kfu;e 6] 2006 dh /kkjk 70 dk l'kks/ku A& (1) उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 70 की उपधारा (4) के खंड (ii) के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :–

''अध्यक्ष / उपाध्यक्ष की पूरी पदावधि में ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक बार ही लाया जा सकेगा।''

(2) उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 70 की उपधारा (4) के खंड (vii) को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

13. fcgkj vf/kfu;e 6] 2006 esa ,d ubZ /kkjk dk vUr%LFkkiuA& उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 95 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 95क अन्तःस्थापित की जाएगी :–

''95क ljiap] mi&ljiap ,oa vU; lnL;ksa dks HkÙkk।– ग्राम कचहरी के सरपंच, उप–सरपंच और अन्य सदस्य यथाविहित भत्ते पाने के हकदार होंगे।''

14. fcgkj vf/kfu;e 6] 2006 dh /kkjk 97 dk l'kks/kuA& (1) उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 97 की उपधारा (4) के खंड (i) के प्रथम परन्तुक के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :–

''सरपंच की पूरी पदावधि में ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक बार ही लाया जा सकेगा।''

(2) उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 97 की उपधारा (4) के खंड (i) का द्वितीय परन्तुक एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

(3) उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 97 की उपधारा (4) के खंड (ii) के प्रथम परन्तुक के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :–

''उप–सरपंच की पूरी पदावधि में ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक बार ही लाया जा सकेगा।''

(4) उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 97 की उपधारा (4) के खंड (ii) का द्वितीय परन्तुक एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

15. fcgkj vf/kfu;e 6] 2006 dh /kkjk 136 esa l'kks/ku A& mDr vf/kfu;e] 2006 dh /kkjk 136 dh mi/kkjk ¼1½ ds [kM ¼´½ ds ckn fuEufyf[kr u;k [kM ¼V½ tksMk tk,xk %&

''(ट) पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे वैयक्तिक गृहस्थ परिवार का सदस्य है, जिसने 1 जनवरी, 2016 तक की अवधि या उसके पूर्व अपने घर में कम–से–कम एक शौचालय का निर्माण नहीं किया है।

Li"Vhdj.k %& (1) इस प्रयोजनार्थ 'वैयक्तिक गृहस्थ परिवार' से अभिप्रेत है पति, पत्नी, आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता, पिता। चुनाव लड़ने हेतु इच्छुक व्यक्ति को अपने नामांकन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके घर में एक शौचालय उपलब्ध है।

(2) बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह निरर्हता केवल पंचायत चुनाव में अभ्यर्थी बनने के लिए लागू होगी, प्रस्तावक बनने के लिए नहीं बशर्ते वह प्रस्तावक बनने हेतु अन्यथा निरर्हित नहीं हो।''

mí'; ,o gr

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के प्रधानों/उप–प्रधानों के विरूद्ध उनकी पदावधि के प्रथम दो वर्ष के पश्चात् उनके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने एवं ऐसा अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर हो जाने पर ऐसी नामंजूरी के एक वर्ष बाद पुनः अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रावधान हैं। इस प्रावधान से किसी पंचायती राज संस्था अथवा ग्राम कचहरी के प्रधान/उप–प्रधान को अपने पूरे कार्यकाल में दो से अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति से ये संस्थाएँ कमजोर होती हैं तथा स्थानीय स्तर पर कटुता एवं वैमनस्यता भी बढ़ती है। अतः यह प्रावधान किया जा रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के प्रधान/उप–प्रधान के विरूद्ध उनके पूरे कार्यकाल में दो वर्ष की अवधि के पश्चात् एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा।

ग्राम सभा की बैठकों में पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाएँ एवं जरूरतें प्रतिबिम्बित हो सकें, तथा ग्राम पंचायत के कार्यों में वार्ड सदस्यों की पूरी सहभागिता सुनिश्चित हो, इस हेतु ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड के स्तर पर भी लोगों की एक वैधानिक सभा होने की आवश्यकता महसूस की गई है। अतः ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड के स्तर पर वार्ड सभा के गठन का प्रावधान किया जा रहा है। संबंधित वार्ड के चुने हुए प्रतिनिधि अपने–अपने वार्ड की वार्ड सभा के अध्यक्ष होंगे ।

ग्राम पंचायतों को विहित दायित्वों एवं कार्यों के संचालन तथा उनके लेखा एवं अभिलेखों आदि के संधारण हेतु पंचायत सचिव के अतिरिक्त अन्य कर्मियों की भी आवश्यकता महसूस की जा रही है। अतः सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार पंचायत सचिव के अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत में अन्य कर्मियों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया के अधीन किये जा सकने का प्रावधान किया जा रहा है।

पंचायत समिति/जिला परिषद् के प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दोनों के पद किसी कारण से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन नही कराये जाने के कारण रिक्त रहने पर संबंधित पंचायत समिति/जिला परिषद् के कार्य बाधित हो जाते हैं। अतः यह प्रावधान किया जा रहा है कि अपरिहार्य कारणवश उक्त पदों में से किसी एक पद के लिए चुनाव नहीं कराये जा सकने की स्थिति में यथास्थिति पंचायत समिति/जिला परिषद् के उम्र में वरिष्ठतम सदस्य को पूर्णतः अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रमुख/अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करने का दायित्व सौंपा जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक वैयक्तिक परिवारों में शौचालय नहीं बनाये गये हैं जिस कारण नर–नारी खुले में शौच के लिए जाने के लिए बाध्य होते हैं तथा ग्रामीण परिवेश प्रदूषित बना रहता है। अतः पंचायत आम चुनाव में उम्मीदवार होने हेतु संबंधित उम्मीदवार के वैयक्तिक परिवार में दिनांक 31.01.2016 तक एक शौचालय अनिवार्य रूप से होने का प्रावधान किया जा रहा है।

पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों की तरह ग्राम पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधि भी यथाविहित भत्ते प्राप्त होने के हकदार होंगे, यह प्रावधान भी किया जा रहा है।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2015 के माध्यम से बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 2, धारा 7, धारा 9, धारा 18, धारा 32, धारा 40, धारा 44, धारा 67, धारा 70, धारा 97, एवं धारा 136 में संशोधन करने तथा नई धारा 16क, 95क एवं 170क अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव इस विधेयक के माध्यम से दिया गया है।

2. यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ठ है।

¼MkŒ foukn i lkn ;kno½
भार–साधक सदस्य।

पटना
दिनांक 05 अगस्त, 2015

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 933-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in